दिनांक 10.09.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 470/2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की झाँसी इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की झाँसी इकाई** द्वारा मदन मोहन नामदेव निवासी तिवरयाना थाना तालबेहट जनपद ललितपुर से सेवानिवृत्त उपरान्त एंक्रीमेन्ट का एरियर बरामद कराये जाने का आदेश कराने और ट्रेजरी भेजने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद ललितपुर से **वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार कुशवाहा (कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर)** पुत्र स्व0 पन्ना लाल कुशवाहा निवासी पुलिया नं0-09 थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 10.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 471/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास, मुंशीपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जिउत उर्फ दिनेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मऊ, गोरखपुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जिउत उर्फ दिनेश निवासी ग्राम सोहनपुर थाना बनकटा जनपद देवरिया, स्थाईपता ग्राम रगरगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

जनपद मेरठ/थाना बहसूमा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 43 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, बिस्किट, सिक्के**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2026 को थाना बहसूमा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तजपुरा नाले की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—हारून घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—महरूम सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 43 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, बिस्किट, सिक्के आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24/25.08.2026 की रात्रि थाना बहसूमा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहसूमा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहसूमा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हारून निवासी ग्राम बड़खला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

2—महरूम निवासी ग्राम टंडेरा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 43 हजार 500 रूपये नगद।

2—चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण, बिस्किट, सिक्के आदि।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 53 लाख 40 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 267 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 10.09.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिलकाना—सहारनपुर मार्ग, तालाब के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर

रहे अभियुक्त फरमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 53 लाख 40 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 267 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फरमान निवासी मोहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 53 लाख 40 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 267 ग्राम अवैध स्मैक।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 05 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2026 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरआर बंधा रोड के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–मो0तफहीम उर्फ राजू 2–अरूण 3–सुमित कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 05 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0तफहीम उर्फ राजू के विरूद्ध जनपद बाराबंकी व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त अरूण व सुमित कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0तफहीम उर्फ राजू निवासी ग्राम धधरा थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।

2–अरूण निवासी न्यू हैदरगंज कैम्पवेल रोड थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3–सुमित कुमार निवासी नन्दपुर डूडा कॉलोनी थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 05 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना नकुड

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 260 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद**

दिनांक 09.09.2026 को थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगोह रोड से ग्राम चढाव आम बाग के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त अमजद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 260 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नकुड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमजद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 260 ग्राम अवैध स्मैक आदि।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307/323 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ओगेन्द्र उर्फ ओमा को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना दक्षिण टोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना दक्षिण टोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/328 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शरीफुल हसन को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अभिषेक उर्फ पुन्नू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना मुण्डेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना मुण्डेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुधीर कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना नोनहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना नोनहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव उर्फ अन्नू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————